कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

फोन नं.–07723–223305, फैक्स नं.–07723–223302, Email ld-msamund.cg@nic.in

// ज्ञापन //

क्रमांक / 259 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुंद, दिनांक 09 / 04 / 2020

WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है। इसके सभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिये तथा इस पर नियंत्रण हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 208 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 24.03.2020 एवं 238 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 31.03.2020 द्वारा आदेश प्रसारित किये गए हैं।

02. इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त आदेशों के तहत् जिला महासमुन्द के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 14.04.2020 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) का आदेश जारी किया गया है।

03. इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त दोनों आदेशों की कंडिका "स" में वर्णित कार्यालय / प्रतिष्ठान / सेवाओं को पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) के प्रतिबंध से शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3 / 2020–DM-I(A) दिनांक 03.04.2020 के परिपालन में कंडिका "स" वर्णित सूची में वृद्धि करते हुए बढ़ते क्रम में निम्नानुसार कार्यालय / प्रतिष्ठान / सेवाओं को भी शर्तों के अधीन पूर्णतया (लॉकडाउन) से छूट प्रदान की जाती है।

स– 26. निम्न वस्तुओं / सेवाओं के निर्माण, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण एवं विक्रय से संबंधित गतिविधियां :–

– चाय उद्योग,

32. **इस कंडिका में कृषि मशीनरी तथा कृषि उत्पाद से संबंधित दुकान के साथ निम्न को भी जोड़ा जाता है :–**

"कृषि मशीनरी विक्रय इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानों (इसकी सप्लाई चेन सहित) को खुला रखना"

37. **राजमार्गों पर ट्रकों के मरम्मत हेतु दुकानें जो यथा संभव पेट्रोल पम्पों या उसके आस–पास स्थित हो।**

04. छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक 211 / मु.स. / 2020 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 25.03.2020 एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 161 / स.सा.प्र.वि. / 2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29.03.2020 के माध्यम से यह निर्देशित किया गया है कि–

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला–महासमुन्द (छ.ग.)

क्रमश :–

Scanned with CamScanner

"अस्पताल, वेटनरी अस्पताल एवं उसके जुडे समस्त स्वास्थ्य स्थापनाएं जिसमें मेडिकल सप्लाई उसका विनिर्माण एवं वितरण सम्मिलित है, निजी एवं शासकीय एवं अर्द्धशासकीय क्षेत्र के डिस्पेंसरी, दवा, केमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधी केन्द्र सहित) मेडिकल इक्यूपमेंट दुकान, लैब, दवा रिसर्च लैब क्लीनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस, इंडियन रेडक्रास सोसायटी की सेवाएं संचालित रहेंगे। चिकित्सक, नर्स पैरामेडिकल स्टॉफ सहित समस्त प्रकार के चिकित्सकीय कार्य में कार्यरत स्टॉफ एवं सहायक सेवाएं संबंधित व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति दी जाये।"

गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 06.04.2020 के परिपालन में देश में चिकित्सा ऑक्सीजन (Medical Oxygen) के पर्याप्त आपूर्ति बनाएं रखने के लिये उपरोक्तानुसार चिकित्सा क्षेत्र की संचालित सेवाओं में निम्नानुसार सेवाओं को जोड़ते हुए इस सेवाओं को भी शर्तों के अधीन पूर्णतया तालाबंदी (Lock Down) से छूट प्रदान की जाती है :–

- मेडिकल ऑक्सीजन गैस/लिक्विड, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेण्डर, लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए क्रायोजेनिक टैंक, लिक्विड क्रायोजेनिक सिलेण्डर, लिक्विड ऑक्सीजन क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक, एंबियंट वेपोराईजर एवं क्रायोजेनिक वाल्व (Ambient Vaporisers & Cryogenic Valves), सिलेण्डर वाल्व तथा इनके सहायक उपकरणों की सभी निर्माण ईकाईयां (All menufacturing units)
- उपरोक्त वस्तुओं (Items) का परिवहन,
- उपरोक्त वस्तुओं का अंतर्राज्यीय सीमा पार आवागमन (Inter State border movement)
- उपरोक्त वर्णित ईकाईयों में कार्यरत स्टॉफ/श्रमिकों के आवागमन की अनुमति होगी। उक्त सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को उनके घर से कारखाना तक आने–जाने के लिये पास प्रदान किये जाऐंगे। यह सुनिश्चित किया जाए कि ये सभी कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करें।

05. उक्त कंडिका **"स"** के अंतर्गत पूर्व के आदेशों एवं इस आदेश के तहत् लॉकडाउन से छूट प्रदान किये गए कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी, कि लॉकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग), स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिये जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे।

06. कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालयीन आदेश

–क्रमांक 208/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 24.03.2020

–क्रमांक 238/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 31.03.2020

के अनुक्रम (Continuation) में इस आदेश को जारी किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला–महासमुन्द (छ.ग.)

09.04.

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी

महासमुन्द (छ.ग.)

जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

पृ.क्रमांक / 259 / क / एस.डब्ल्यू / 2020 महासमुंद, दिनांक 09 / 04 / 2020

प्रतिलिपि :–

01. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02. सचिव, छ.ग. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सादर सूचनार्थ।

04. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद को सूचनार्थ।

05. पुलिस अधीक्षक महासमुंद को सूचनार्थ।

06. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

07. सर्व तहसीलदार / कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

08. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

09. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

10. सर्व विभाग प्रमुख, जिला महासमुंद को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

11. सहायक संचालक, जनसंपर्क महासमुंद को समाचार–पत्र में प्रकाशनार्थ।

09.04

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी

महासमुन्द (छ.ग.)

जिला दण्डाधिकारी

महासमुन्द (छ.ग.)

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला–महासमुन्द (छ.ग.)

Scanned with CamScanner